



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त/Accredited with 'A' Grade by NAAC

डॉ. शोभा पालीवाल / Dr. Shobha Paliwal

दूरभाष/Phone: +91 7387812625

समन्वयक आईक्यूएसी/ Coordinator-IQAC

पत्रांक : 062/2018-19/AQAR(17-18)/01/265


दिनांक : 08 अक्टूबर 2018

अनुस्मारक - 3

विश्वविद्यालय द्वारा Annual Quality Assurance Report (AQAR) वर्ष 2017-18 (01 जुलाई 2017 से 30 जून 2018) की जानकारी प्रपत्र में भरकर नैक बंगलौर भेजा जाना है। इस संबंध में वांछित जानकारी हेतु दिनांक 29 अगस्त 2018 को अनुस्मारक-1 तथा दिनांक 11 सितंबर 2018 को अनुस्मारक-2 भेजा गया था। अनुस्मारक-2 में 14 सितंबर 2018 तक आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। किंतु निम्नलिखित विभागों की जानकारी आज तक प्राप्त नहीं हुई है:-

क्र.सं.	विभाग
1	स्त्री अध्ययन विभाग
2	गांधी शांति अध्ययन विभाग
3	हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य अध्ययन विभाग
4	डॉ. भदंत आनंद कौसल्यायन बौद्ध अध्ययन केंद्र
5	शिक्षा विभाग
6	क्षेत्रीय केंद्र, इलाहाबाद
7	क्षेत्रीय केंद्र, कोलकाता

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि AQAR संबंधी जानकारी दिनांक 12 अक्टूबर 2018 तक आवश्यक रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


शोभा पालीवाल

प्रति : उपर्युक्त समस्त। (ईमेल द्वारा)

प्रतिलिपि : (ईमेल द्वारा)

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति कार्यालय
3. कुलसचिव कार्यालय
4. प्रभारी, लीला- वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. कार्यालय प्रति